

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक १२८६ / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / १०

भोपाल, दिनांक २२/९/१०

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र-भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,
जबलपुर एवं वि./यां.भोपाल ।
2. अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मंडल),
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:- शासन का पृष्ठांकन क्रमांक ४३४०/२/३४, दिनांक २२.९.२०१०

शासन का संदर्भित पत्र जो समस्त कार्यपालन यंत्रियों/सहायक यंत्रियों को संबोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत उल्लेख करते हुए जारी किया गया है। जिसे फेक्स व ई-मेल द्वारा भी आपको भेजा गया है।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कार्यपालन यंत्रियों/सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों (पदाभिहित अधिकारी) को उक्त अधिनियम २०१० की कार्यवाही तत्काल करना सुनिश्चित करें व की गई कार्यवाही की पुष्टि से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी खंड (ग्रामीण)
मध्य प्रदेश

समस्त सहायक यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी उपखंड (ग्रामीण)
मध्य प्रदेश

विषय:- मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के कियान्वयन के संबंध में निर्देश

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग से संबंधित सेवाओं की अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है, यह अधिनियम एवं नियम दिनांक 25 सितंबर 2010 से प्रभावशील किये जा रहे हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत विभाग से संबंधित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है एवं सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा इस हेतु व्यक्तिगत रुचि लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

विभाग से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें :-

1. इन सेवाओं के लिए विभागीय उपयंत्री, जो हैंडपंप संचारण से संबंधित कार्यों के प्रभारी हों वे पदाभिहित अधिकारी होंगे तथा निर्धारित समय सीमा में उनके द्वारा प्रत्येक आवेदन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाना होगी। चूंकि विभाग के अंतर्गत उपयंत्रियों के पृथक कार्यालय नहीं हैं तथा वे सहायक यंत्री के ही कार्यालय का भाग हैं अतः प्रत्येक सहायक यंत्री (ग्रामीण क्षेत्र) जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी भी है, के कार्यालय के बाहर ही निर्धारित सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु सूचना पटल लगाए जाएंगे। यदि किसी विकासखंड स्तर पर विभागीय उपयंत्री द्वारा पृथक कार्यालय लिये गये हों अथवा यदि उपयंत्री विकासखंड कार्यालय में ही बैठते हों तो ऐसे कार्यालयों के बाहर भी इस सूचनापटल को स्थापित किया जाएगा तथा सभी सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री ऐसे सूचना पटल तत्काल लगाये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. इस अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीली अधिकारी कार्यपालन यंत्री हैं अतः प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कार्यपालन यंत्री अपने कार्यालय के बाहर भी दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित सूचना पटल लगावायेंगे एवं सभी कार्यपालन यंत्री अपने अधीनस्थ प्रत्येक सहायक यंत्री तथा उपयंत्री द्वारा इन सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराये जाने की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे।

3. सहायक यंत्री कार्यालयों के बाहर लगाये जाने हेतु सूचना पटल का प्रारूप परिशिष्ट-1 एवं कार्यपालन यंत्री के कार्यालय के बाहर लगाये जाने वाले पटल पर प्रारूप परिशिष्ट-2 में संलग्न है। इस सूचनापटल को कार्यालय के बाहर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए एवं इस सूचना पटल का आकार एवं उसकी लिखावट इस प्रकार की हो जिसे आम जनता द्वारा आसानी से देखा एवं पढ़ा जा सके। सहायक यंत्री कार्यालय के बाहर जो सूचना पटल लगाया जाए उस पर पदाभिहित अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम भी लिखा जाए एवं इन अधिकारियों के प्रभार के परिवर्तन होने अथवा स्थानांतरित होने की स्थिति में आने वाले अधिकारी का नाम तत्काल संबंधित सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। द्वितीय अपील अधिकारी, कार्यपालन यंत्री के कार्यालय के बाहर प्रदर्शित किये जाने वाले इस सूचना पटल में केवल प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक यंत्री तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी

कार्यपालन यंत्री के नाम अंकित किये जाएं। सहायक यंत्री कार्यालय तथा उपयंत्रियों के (यदि हों तो) कार्यालय के बाहर प्रदर्शित किये जाने वाले सूचना पट में प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी का नाम एवं किस क्षेत्र के लिए वे पदाभिहित अधिकारी हैं इसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

4. इस अधिनियम के अंतर्गत विभाग से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन का एक नमूना भी इस पत्र के साथ परिशिष्ट- 3 में संलग्न किया जा रहा है। समस्त कार्यपालन यंत्री पर्याप्त संख्या में इस आवेदन पत्र की प्रतियां प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी एवं सहायक यंत्री को उपलब्ध करा दें। यह आवेदन प्रारूप नमूने के लिए दिया जा रहा है किंतु यदि किसी आवेदक द्वारा किसी अन्य प्रारूप में भी इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन को भी इस अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया जाए। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के रूप में केवल संबंधित ग्राम पंचायत का इस आशय का पत्र दिया जाना आवश्यक है कि जिस हैंडपंप के सुधार हेतु विभागीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने का आवेदन दिया जा रहा है वह हैंडपंप खराब है तथा इस आधार पर तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाए।

5. प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन को संबंधित पदाभिहित अधिकारी एवं सहायक यंत्री कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में पंजी में तत्काल पंजीकृत किया जाए एवं इस आवेदन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति (परिशिष्ट- 4) दिनांक एवं समय अंकित करते हुए, आवेदक को उपलब्ध कराई जाए तथा उसमें आवेदक का नाम एवं पता तथा जिस हैंडपंप के सुधार हेतु आवेदन दिया गया है व संलग्न किये गये दस्तावेज का उल्लेख करते हुए यह अभिस्वीकृति तत्काल जारी की जाए एवं ऐसी अभिस्वीकृति के प्रारूप भी पर्याप्त संख्या में सभी संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध रखे जाएं जिससे अभिस्वीकृति देने में विलंब न हो। प्रत्येक आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकारों की पूर्ण जानकारी भी दी जाए तथा यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभी सहायक यंत्री, कार्यालय प्रमुख के रूप में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सभी कार्यपालन यंत्री एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अपने निरीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से इन सेवाओं को दिये जाने हेतु प्रत्येक सहायक यंत्री कार्यालय में की गई इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि उनके प्रभार के अंतर्गत इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण की गई हैं।

6. यदि किसी भी अधिकारी को, किसी पदाभिहित अधिकारी का अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी या द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पद का, अतिरिक्त प्रभार अथवा चालू प्रभार सौंपा गया हो तो वे ऐसे अतिरिक्त/चालू प्रभार के अंतर्गत भी इस अधिनियम के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने के लिए सक्षम एवं उत्तरदायी होंगे। किसी भी ऐसे अधिकारी के अपकाश की अवधि में क्या व्यवस्था रहेगी तथा इस अवधि में अन्य कौन व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी होगा इसकी भी पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी आवेदक को किसी भी समय इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने में कोई भी असुविधा न हो।

7. इस अधिनियम के अंतर्गत विभाग से संबंधित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध करायी जाना अनिवार्य है एवं यदि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने में संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो वे तत्काल अपने उच्च अधिकारियों जैसे कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्रियों अथवा संबंधित मुख्य अभियंता को तत्काल दूरभाष पर एवं व्यक्तिगत रूप से अपनी कठिनाई से अवगत कराएं तथा ऐसे वरिष्ठ अधिकारी इस समस्या का तत्काल निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी कार्यालय में इन सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

8. जैसा कि इस अधिनियम की धारा-7 के प्रावधानों के अनुरूप अर्थदंड व विभागीय जांच अनुशसित करने का प्रावधान है, निर्धारित समय सीमा में अधिसूचित सेवाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने पर शास्ति आरोपित की जाएगी अतः इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

9. विभिन्न कार्यालयों में इस अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख संधारित किये जाने हेतु प्रारूप अधिसूचना की प्रति भी संलग्न हैं, अनिवार्य रूप से निर्धारित स्वरूप में पंजी संधारित की जाएं एवं अपने निरीक्षण के समय वरिष्ठ अधिकारी गण इनका अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें ।

कृपया निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

पृ. क्रमांक 4340/2/34

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र- भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अग्रेषित ।

3. समस्त अधीक्षण यंत्री(मंडल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु अग्रेषित ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

—~~हस्ताक्षर~~—
(आर.के.स्वाई)
प्रमुख सचिव
भोपाल, दिनांक 22 SEP 2010]


प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश
लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम – 2010

कार्यालय सहायक यंत्री
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड -----, -----

पदाभिहित अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी एवं दी जाने वाली सेवाओं व उनके लिए निर्धारित समय सीमा का विवरण

क.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.0	विभागीय हैंडपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार	उपयंत्री नाम – कार्यक्षेत्र	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री (नाम एवं उपखंड का नाम लिखें)	7 कार्य दिवस
2.0	विभागीय हैंडपंप के जमीन के निचले भाग में हैंडपंप की लाइन असेम्बली व सिलेन्डर की गंभीर खराबी का सुधार	उपयंत्री नाम-कार्यक्षेत्र	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री (नाम एवं उपखंड का नाम लिखें)	15 कार्य दिवस

प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा – पदाभिहित अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अवश्य प्राप्त करें ।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड -----, -----

विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व उनके लिए निर्धारित समय सीमा का विवरण

क.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.0	विभागीय हैंडपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	संबंधित सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री (नाम लिखें)
2.0	विभागीय हैंडपंप के जमीन के निचले भाग में हैंडपंप की लाइन असेम्बली व सिलेन्डर की गंभीर खराबी का सुधार	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	संबंधित सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री (नाम लिखें)

द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा - प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय से 60 दिन के भीतर

कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अवश्य प्राप्त करें ।

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 की धारा-5 के
अंतर्गत आवेदन**

प्रेषक :-

आवेदक का पूरा नाम एवं पता

दिनांक -----

प्रति,

उपयंत्री/सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
उपखंड -----

विषय : मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के
अंतर्गत ग्राम ----- के हैंडपंप सुधार हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

मैं अधिनियम के अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार हैंडपंप का सुधार कार्य किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ । जिस हैंडपंप का सुधार किया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. ग्राम का नाम -----
2. जिस हैंडपंप के सुधार हेतु आवेदन दिया जा रहा है उसका स्थान तथा पूर्ण विवरण: -----
3. ग्राम पंचायत : -----
4. विकास खंड : -----
5. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण: -----

उपरोक्त हैंडपंप को सुधारे जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत / सरपंच के पत्र की प्रति संलग्न है ।

अनुरोध है कि कृपया अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा में उपरोक्त सेवा उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भ व दी य

()
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-1
(नियम 5 देखिये)

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय
का नाम एवं पता :

1. आवेदक का नाम एवं पता :

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय
में आवेदन प्राप्ति की दिनांक :

3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन
दिया गया है :

4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा
प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं :

किंतु आवेदन के साथ संलग्न नहीं
किये गये हैं :

5. निश्चित की गई समयसीमा की
आखिरी तारीख :

स्थान _____

दिनांक _____

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (खर सील)

नोट- आवेदन के साथ दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी ।

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2010—श्रावण 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०३-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १७ अगस्त २०१० को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.
४. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.
५. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.
६. अपील.
७. शास्ति.
८. पुनरीक्षण.
९. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई का संरक्षण.
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१०.

[दिनांक १७ अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "पदाभिहित अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;

(ख) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ङ) "सेवा का अधिकार" से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा ४ के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार;

(च) "सेवा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(छ) "द्वितीय अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) "निश्चित की गई समय सीमा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय.

सेवाओं, पदाभिहित
अधिकारियों, प्रथम
अपील अधिकारियों,
द्वितीय अपील
प्राधिकारी तथा
निश्चित की गई
समय सीमाओं की
अधिसूचना.

३. राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा.

४. पदाभिहित अधिकारी धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार।
५. (१) निश्चित की गई समय सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी। निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना।
- (२) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा।
६. (१) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। अपील।
- परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।
- (२) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा।
- (३) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से ६० दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी :
- परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, ६० दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।
- (४) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा।
- (ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा ७ के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- (५) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ५ की उपधारा (१) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है।
- (ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है।

(६) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

- (क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना.
- (ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और
- (ग) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएं.

शास्ति.

७. (१) (क) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए २५० रु. प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो अधिकतम ५००० रुपये हो सकेगी :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

- (२) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

- (३) द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा (१) या (२) या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में, जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश दे सकेगा.
- (४) यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

पुनरीक्षण.

८. द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो वह ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा.

९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१०.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

(२) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी :

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०४-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 of 2010.
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI
GUARANTEE ADHINIYAM, 2010

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits.
4. Right to obtain service within stipulated time limit.
5. Providing services in stipulated time limit.
6. Appeal.
7. Penalty.
8. Revision.
9. Protection of action taken in good faith.
10. Powers to make rules.
11. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 of 2010.
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE
ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 17th August, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 18th August, 2010]

An Act to provide for the delivery of services to the people of the State within the stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Vidheyak, 2010.

(2) It shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

- (a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the service under Section 3;
- (b) "eligible person" mean person who is eligible for notified services;
- (c) "first appeal officer" means an officer who is notified as such under Section 3;
- (d) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (e) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under Section 4;
- (f) "service" means any service notified under Section 3;
- (g) "second appellate authority" means an officer who is notified as such under Section 3;
- (h) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh; .
- (i) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notified under Section 3.

Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits.

3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits to which this Act shall apply.

Right to obtain service within stipulated time limit.

4. The designated officer shall provide the service notified under Section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

Providing service in stipulated time limit.

5. (1) Stipulated time limit shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application. Such application shall be duly acknowledged.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.

6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit: **Appeal.**

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(3) A second appeal against decision of first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made :

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4)(a) The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.

(b) Along with the order to provide service, the second appellate authority. may impose penalty according to the provisions of section 7.

(5)(a) If the designated officer does not comply sub-section (1) of section 5, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the first appeal officer. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.

(b) If the designated officer does not comply the order of providing the service under sub-section (2) of section 6, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of second appeal.

(6) The first appeal officer and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :—

- (a) requiring the production and inspection of documents;
- (b) issuing summons for hearing to the designated officer and appellant; and
- (c) any other matter which may be prescribed.

7. (1)(a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees. **Penalty.**

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees:

Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and more than 5000 rupees:

Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty.

(4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.

Revision.

8. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Act, may make an application for revision to the officer nominated by the State Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application according to the prescribed procedure:

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days, if it is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause .

Protection of action taken in good faith.

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Powers to make rules.

10.(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act by the State Government shall be laid before the State Legislature.

Power to remove difficulties.

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.